



कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेता, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/486

भिलाई, दिनांक 28/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

1. श्री हर्षल खिचरिया आ. सुनील कुमार खिचरिया
 2. श्री सक्षम खिचरिया आ. सुधीर कुमार खिचरिया
- पता- सड़क नं. 04 नरसिंह विहार कातुलबोड़
दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

0000

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 170/5 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्त) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/487

भिलाई, दिनांक 28/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई



कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/488

भिलाई, दिनांक 28/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

1. ना.बा. नाईसा आ. आनंद जैन
 2. श्रीमती शालू जैन पति श्री आनंद जैन
- पता- सड़क नं. 18 स्मृति नगर, मोतीलाल
नेहरू नगर, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र
क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र
क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 1332/26, 1332/29 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/489

भिलाई, दिनांक 28/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/490

भिलाई, दिनांक 28/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

अलका साहू आ. रामलाल साहू
पता- म.नं. 1304 वार्ड नं. 08 टाटा लाईन
कोहका, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :- अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।
सन्दर्भ:- 1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र
क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र
क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 1542/13 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरो का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्त) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

भिलाई, दिनांक 28/05/2025

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/490

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/492

भिलाई, दिनांक 22/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री उदयनाथ साहू आ.स्व. अर्जून साहू
पता- गणेश मंदिर सेक्टर-11 जोन-03
खुर्सीपार, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 1542/10 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

भिलाई, दिनांक 28/05/2025

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/493

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/494

भिलाई, दिनांक 28/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री रामअवध आ. राजदेव

पता- वार्ड नं. 08 सतनाम नगर बजरंग पारा

कोहका, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 1542/2 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्त) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/495

भिलाई, दिनांक 28/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/496

भिलाई, दिनांक 28/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री मो. तस्कीन आ. बी. गफूर
पता- मैत्री विहार, कोहका, भिलाई

विषय :- अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।
सन्दर्भ:- 1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 463/6, 455/17 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्त) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/497

भिलाई, दिनांक 28/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/498

भिलाई, दिनांक 28/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री शेखर सिवारे आ. रिखीराम सिवारे
पता- म.नं. 756 नवीन चौक साडा कुआ के पास
कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-
सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।
1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र
क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र
क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 482/6, 483/4 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसराओं का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

भिलाई, दिनांक 28/05/2025

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/499

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/500

भिलाई, दिनांक 28/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री रामलाल साहू आ.श्री गणेश राम साहू
पता- म.नं. 1304 वार्ड नं. 08 टाटा लाईन
कोहका, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 1542/12 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईज़र का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/501

भिलाई, दिनांक 28/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/502

भिलाई, दिनांक 28/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

1. श्री राकेश आ.स्व. श्याम रतन
 2. श्री सुखदास आ.स्व. श्याम रतन
- पता- सतनामी पारा पुरानी बस्ती,
कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 123/1 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरा के अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

भिलाई, दिनांक 28/04/2025

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/503

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्र. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/504

भिलाई, दिनांक 28/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

1. श्रीमती नीतू साव / श्री समीर कुमार
पता- म.नं. 216, मोतीलाल चौक, सुपेला, भिलाई
2. श्री सुरेन्द्र सिंह आ. रामजतन सिंह
पता- म.नं. 10 कोसा नगर, गांधी नगर, भिलाई

विषय :- अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।
सन्दर्भ:- 1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र
क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र
क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 1047/53 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरा को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्त) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पू.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/505

भिलाई, दिनांक 28/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/506

भिलाई, दिनांक 28/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्रीमती अंजू जैन पति श्री किशोर कुमार
पता- LIG 82 वैशाली नगर हनुमान मंदिर के पास
सुपेला, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-
सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।
1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र
क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र
क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 1332/73 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरो का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्यक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पू.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/507

भिलाई, दिनांक 28/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/508

भिलाई, दिनांक 28/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्रीमती फेकन बाई पति स्व. कार्तिक

पता- पुरानी बस्ती, कुरुद

भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 47/23 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसराओं का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/509

भिलाई, दिनांक 28/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/510

भिलाई, दिनांक 28/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्रीमती रेखा पति श्री सुरेश
पता- प्लॉट नं. 28, कैलाश नगर
कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-
सन्दर्भ:-

- अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।
1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
 2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 999/12 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरो का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्वक नही होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

भिलाई, दिनांक 28/05/2025

पू.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/511

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/512

भिलाई, दिनांक 28/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री एम. रहमान आ.स्व.एस.के. सुल्तान

पता- क्वा नं. 4बी, सड़क नं. 19 सेक्टर-07

भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 1003/18 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/513

भिलाई, दिनांक 28/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/514

भिलाई, दिनांक 28/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री करण कुमार वर्मा आ. विश्वनाथ वर्मा
पता- कैलाश नगर कुरुद, भिलाई

विषय :-
सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र
क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र
क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 463/29 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसराओं का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्त) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पू.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/515

भिलाई, दिनांक 28/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : philai-nagar-m@cgprgv.in

क्रमांक/सात/दो/म.अ./2025/516

भिलाई, दिनांक 28/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

1. श्री कांति लाल शर्मा आ.स्व. भंवर लाल शर्मा
 2. श्री शांति लाल शर्मा आ. कांति लाल शर्मा
- पता- प्लॉट नं. 1, सड़क नं.45 नेहरू नगर (पूर्व)
भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-
सन्दर्भ:-

- अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्श्रेण करने के संबंध में।
1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
 2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

नन्त0000नन्त

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 1047/3 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए है। जो कि उक्त खसरा को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कौलोनार्डजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुमाना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः वयों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कौलोनार्ड के निर्माण करने का दुस्श्रेण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्वक नही होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत है।

सूचना जाने।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

भिलाई, दिनांक 28/05/2025

पृ.क्र./सात/दो/म.अ./2025/517
प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई



कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/520

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

मेसर्स श्री साई कंस्ट्रक्शन

1. श्री सुरेश कुमार आ. रामजीत यादव

2. श्री शंकर मोटवानी आ. गोपीचन्द मोटवानी

3. श्री प्रकाश देवांगन आ. डेरहा राम देवांगन

4. श्री लक्ष्मण मोटवानी आ. तुलसीराम मोटवानी

पता- 6/बी, म.नं. 124, शांति नगर भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :- अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:- 1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र

क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र

क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 447/1 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/521

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/522

भिलाई, दिनांक 21/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

1. श्रीमती सावित्री बाई साहू आ.स्व. भूखनराम साहू
 2. श्री राजकुमार साह आ.स्व. भूखनराम साहू
 3. श्री रवि कुमार साहू आ.स्व. भूखनराम साहू
- पता- 212, गोंड पारा पुरानी बस्ती कुरुद
भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 179/1 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/523

भिलाई, दिनांक 21/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/524

भिलाई, दिनांक 21/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

1. श्री सुरेश कुमार गुप्ता आ. विशेश्वर प्रसाद गुप्ता

पता- शास्त्री नगर, कैम्प-01, सुपेला, भिलाई

2. श्री सहेन्द्र सिंह आ. राधासिंह

पता- 409 हथखोज, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 999/13 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरा के अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई

पू.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/525

भिलाई, दिनांक 21/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/526

//नोटिस//

प्रति,

श्री लव कुमार आ. प्यारे लाल
पता- मकान नं. 829 भाठापारा, शासकीय
स्कूल के पास, कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

- अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।
- कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
 - कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

0000

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 997/8 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसराओं का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्त) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

भिलाई, दिनांक / /2025

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/

प्रतिलिपि :-

- कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
- पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
- जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/S28

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री भुवन लाल साहू आ. लालराम साहू
पता- दुर्गा चौक, पुरानी बस्ती
कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :- अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।
सन्दर्भ:- 1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 485/18 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरो का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्त) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/S29

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/530

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्रीमती रामदुलारी साहू आ. लालराम साहू
पता- 7/184 कुंदरा पारा सुकवारी बाजार
मुड़ियारी रायपुर तह.व जिला- रायपुर(छ.ग.)

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 485/20 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्त) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/531

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/532

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री अशोक कुमार साहू आ. लालराम साहू
पता- दुर्गा चौक, पुरानी बस्ती
कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 485/17 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसराओं का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्त) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/533

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/534

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री हाजी सलीम खान आ. हाजी मासुक खान
पता- मकान नं. 1444 सुन्दर नगर (पश्चिम)
कोहका, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 1003/3, 1003/6 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसराओं का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/535

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhillai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/536

भिलाई, दिनांक 24/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

1. श्रीमती सविता महोबिया पति श्री प्रकाश महोबिया
2. श्री निर्मल बुंदेला आ.स्व. चमन लाल बुंदेला
पता- कैलाश नगर, कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 1047/129, 1047/130 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तें) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/537-

भिलाई, दिनांक 24/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023.

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/538

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री आशीष डेनियल आ. मनोज राजा
पता- मकान नं. 1068 कुरुद रोड पुरी ITI
के सामने सुपेला, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :- अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।
सन्दर्भ:- 1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

0000

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 1047/126, 1047/128 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/539

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/540

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री ए.ई.मनोज राजा आ. आर.ए. एडविन
पता- मकान नं. 1068 कुरुद रोड पुरी ITI
के सामने सुपेला, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 1047/114 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसराओं का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/541

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/542

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्रीमती बिजेबती साहू पति श्री भागीरथी साहू

पता- संतोषी चौक, कुरुद

भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 485/16 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/543

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/544

//नोटिस//

प्रति,

श्री योगेश गायकवाड़ आ.स्व. नरसिंह गायकवाड़
पता- EWS-553, वैशाली नगर, भिलाई

विषय :-

सन्दर्भ:-

- अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।
1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
 2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 463/14, 455/2 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसराओं का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/545

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/546

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री आनंद राम साहू आ.स्व. नरोत्तम साहू
पता- मकान नं. 875, भाटा पारा
कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 123/2 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्त) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/547

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/548

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री मिठाई लाल यादव आ. बलिकराण यादव
पता- घासीदास नगर, आई ई
भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

0000

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 1003/55 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसराओं का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्त) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/549

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/550

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

1. श्री थानुराम आ.स्व. दयाराम
 2. श्री जगदीश प्रसाद साहू आ. थानुराम
- पता- पुरानी बस्ती कुरुद
भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

- अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।
1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
 2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 318/1 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्त) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्वक नही होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/551

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/552

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री सुकालू राम आ. थनवार

पता- पुरानी बस्ती कुरुद

भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 319/1 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसराओं का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/553

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/554

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

विशाल डेवलपर्स प्रोपार्टिटर
श्री संजीव कुमार सिंह आ.स्व. लालदेव सिंह
पता- रूंगटा कालेज पेट्रोल पम्प के पास
कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 258/29 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/555

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/556

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

1. श्रीमती मंतु बाई / स्व. श्याम रतन

2. श्री सुखराम आ. स्व. श्याम रतन

3. श्री सुखदास आ. स्व. श्याम रतन

पता- सतनामी पारा, पुरानी बस्ती कुरुद, भिलाई

विषय :- अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:- 1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 47/1 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसराओं का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्त) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयवधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/557

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/558

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

1. श्री जय श्रीवास्तव आ. राजेश श्रीवास्तव
 2. श्रीमती सरस्वती यादव पति श्री बी.के. यादव
 3. श्री बी.के. यादव आ. पी.के. यादव
- पता- क्वा.नं. 02/एफ, सड़क 63, सेक्टर-06, भिलाई

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

0000

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 458/1 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/559

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/560

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री जगदीश प्रसाद साहू आ. थानुराम
पता- पुरानी बस्ती कुरुद
भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 318/2 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्वक नही होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/561

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आफगाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/562

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

जंवती साहू पति श्री जगदीश प्रसाद साहू

पता- पुरानी बस्ती कुरुद

भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 318/3 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/563

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/564

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री पारस जैन आ. महावीर जैन

पता- सड़क नं. 18, स्मृति नगर मोतीलाल

नेहरू नगर, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 1328/2 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/565

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/566

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

1. श्रीमती शालू जैन पति श्री आनंद जैन
 2. श्री आनंद जैन आ. श्री महावीन जैन
- पता- सड़क नं. 18, स्मृति नगर मोतीलाल
नेहरू नगर, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

0000000000

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 1332/14 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्तें) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/567

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/568

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

1. श्री अली अहमद मो. इशाक
पता- इमाम बाड़ा चौक पास, सुपेला, भिलाई
2. श्री पवन कुमार महतो आ. देबु महतो
पता- हनुमान मंदिर के पास घाघरा बेगूसराई बिहार

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 356/3 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयवाधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/569

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (श.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/570

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

1. बीरेन्द्र कुमार यादव आ. कामता प्रसाद यादव
 2. श्रीमती सीमा शर्मा पति श्री रमाशंकर शर्मा
- पता- क्वा.नं. 07ए, सड़क 24, सेक्टर-2, भिलाई

विषय :-

सन्दर्भ:-

- अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।
1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
 2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 457/1 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्त) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/571

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/572

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री प्रदीप गुप्ता आ. आर.बी. गुप्ता
पता- कैलाश नगर, कुरुद, भिलाई

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 1546/17 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्त) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/573

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/574

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति.

श्री ओम प्रकाश गुप्ता आ.स्व. केदार प्रसाद गुप्ता

पता- न्यू कृष्णा नगर, श्याम चौक

सुपेला, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र

क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र

क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 1047/17 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/575

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/576

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

1. श्री कोभित कुमार सिन्हा आ. खेमलाल सिन्हा
पता- म.नं. 199 वार्ड नं. 23, केम्प-02, गांधी चौक, भिलाई
2. श्री जितेन्द्र अग्रवाल आ. ओमप्रकाश अग्रवाल
पता- म.नं. 153 सुन्दर नगर, केम्प-1 एप्रोच रोड, सुपेला, भिलाई
3. श्री संजय अग्रवाल आ. जयनारायण अग्रवाल
पता- MIG 1114, MP हाउसिंग बोर्ड, भिलाई

विषय :-

सन्दर्भ:-

- अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।
1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
 2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 490/1, 499/1 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसराओं का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/577

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/578

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

1. श्रीमती कौशल्या पति स्व. थनवार

2. श्री राजकुमार आ.स्व. थनवार

3. श्री रामखिलावन आ.स्व. थनवार

पता- म.नं. 438, लीलामंच के पास

कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :- अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:- 1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 438/1 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि/आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/579

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/580

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री उदय राम आ. जेवू राम निषाद
पता- 66, वार्ड नं. 14, पुरानी बस्ती
कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :- अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।
सन्दर्भ:- 1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 192/2 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्त) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/581

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/582

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री सुखराम आ.स्व. श्याम रतन
पता- सतनामी पारा, पुरानी बस्ती
कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 47/21, 47/22, 47/25 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/583

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/584

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री नन्दु कुमार निषाद आ. जेदूराम निषाद

पता- 66, वार्ड नं. 14, पुरानी बस्ती

कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :- अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:- 1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र

क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र

क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

0000

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 192/3, 192/4 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरा का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/585

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/586

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

//नोटिस//

प्रति,

मोहम्मद इरफान आ. नूर अहमद
पता- हनुमान मंदिर के पास
कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :- अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।
सन्दर्भ:- 1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 194/3, 195/2 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरो का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्तें) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

भिलाई, दिनांक 29/05/2025

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/587

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

